

20/05/23

श्री वी. न. प्रार्थना पत्र 23/24 व 25 के प.न. 12/25 मु.न. 57 कि.न. 23, 24 व प.न. 12/25 (50) कि.न. 25 में 0.013 है। रास्ता स्वीकृत किए जाने का अनुरोध मांचित किया। अग्रणी सं. 1, 2 अक्षितवला ने उक्त प्रार्थना पर स्तराज जाहिर कर प्रार्थना पत्र पेश कर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वच्छ स्वरिप्त किए जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण को प्रकल्प/वाक सं. 408/2023 के साथ निस्तारित किया जाना उचित है। चूंकि वाक सं. 408/2023 में विभाजन प्रस्ताव अनुसार प्रार्थी स्वैच्छता को मु.न. 57 कि.न. 21, 22 प्राप्त हुए हैं जिनमें पंद्रह हेड रास्ता दिया जाना आवश्यक है। हस्तगत प्रार्थना पत्र में तहसीलवार रिपोर्ट अनुसार मु.न. 57 कि.न. 21, 22 तक पंद्रह हेड मु.न. 57 कि.न. 25 में है। कि.न. 25 में बराब्र अंतरा अनुसार उत्तरी सीव पर एक बिस्वा रास्ता छोड़ा हुआ है व मौके पर चाबू है। इसके अति अग्रणी राजेश कुमार व मागीरथ की भूमि है। यहां से निकटतम रास्ता बनता है। अतः प.न. 12/25 मु.न. 57 कि.न. 23, 24, 25 में उत्तरी सीव पर पूर्व व पश्चिम एक बिस्वा रास्ता प्रत्येक किला से स्वीकृत करने की अनुरोध की गई है। व ना ही निकटतम दूरी का रास्ता बनता, का अंकन किया गया है। इसके अलावा अतः अत्यंत आवश्यकता, वैकल्पिक मार्ग का अभाव व निकटतम कट के अभाव पर एक 6KKW प.न. 12/25 मु.न. 57 कि.न. 23, 24, 25 में उत्तरी सीव पर पूर्व व पश्चिम प्रत्येक वीधा में 0.013 है। का रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा स्वीकृत रास्ता की लम्बाई में निर्धारित D/L दर का दुगना राशि दितकर अप्रार्थीगत सं. 1 व 2 को प्रार्थी अका करे। राशि जमा होने पर रास्ता किर्ड में अंकन कर चाबू काटा जावे। तहसीलका आदेश की पालना करे। आदेश सुगम्य जाका पत्रावली कापिले दस्तार हो।

कार्यकारी
अधिकारी